भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 844

27 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई-शहरी

844 श्री मेदा रघुनाधा रेड्डीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सीएसएमसी ने हाल ही में पीएमएवाई-शहरी-2.0 के तहत 3.52 लाख मकानों को मंजूरी दी है और यदि हाँ, तो विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या, इसके अंतर्गत आने वाले शहरों और इसके लिए प्रतिबद्ध केंद्रीय निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमएवाई-शहरी चरण-। और चरण-॥ के तहत आंध्र प्रदेश को कुल कितनी केंद्रीय निधि जारी की गई है, कितने मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और इन पूर्ण हुए मकानों में से वर्तमान में कितने मकान खाली पड़े हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय को अमरावती लैंड पूलिंग किसानों को पीएमएवाई-शहरी-2.0 या किसी विशेष आवास श्रेणी के तहत पात्र लाभार्थियों के रूप में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग**):** आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय **(**एमओएचयूए) देश-भर के पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं सहित सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **25.06.2015** से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों से मिली सीख के आधार पर एमओएचयूए ने योजना में बदलाव करते हुए **01.09.2024** से देशभर के शहरी क्षेत्रों में **1** करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी **2.0 (**पीएमएवाई-यू **2.0) -** 'सबके लिए आवास' मिशन प्रारंभ किया है। योजना के संचालन दिशा-निर्देश **https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf** लिंक पर उपलब्ध हैं:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा अब तक पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू **2.0** के अंतर्गत कुल **127.68** लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से **13.07.2026** की स्थिति के अनुसार **121.03** लाख आवास निर्माणाधीन तथा **99.07** लाख आवास पूर्ण /लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू **2.0** के अंतर्गत, देशभर में कुल **16.20** लाख आवासों को **₹23,383** करोड़ की केंद्रीय सहायता के साथ स्वीकृति दी गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए **61,084** अनुमोदित आवासों के निर्माण हेतु **882.32** करोड़ रुपए शामिल हैं।

पीएमएवाई-यू को केवल **31.03.2024** को या उससे पहले स्वीकृत और **31.12.2025** को या उससे पहले निर्माणाधीन किए गए आवासों को पूरा करने के लिए **30.09.2026** तक बढ़ाया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कुल **19.07** लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से **15.36** लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और **3.71** लाख आवासों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। निर्माणाधीन आवासों में से अब तक कुल **11.38** लाख आवास पूरे हो चुके हैं और **10.75** लाख आवास सौपे जा चुके है। पीएमएवाई-यू के अंतर्गत, राज्य अधिकतम **23,507.44** करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के लिए पात्र है। तथापि, राज्य को **23,665.79** करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप **158.35** करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि जारी हो चुकी है । तदनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार से मंत्रालय द्वारा जारी की गई अतिरिक्त निधि वापस करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के पास मौजूद किसी भी अतिरिक्त निधि को पीएमएवाई-यू/पीएमएवाई-यू **2.0** के तहत आगे जारी की जाने वाली निधि के साथ समायोजित किया जाता है।

पीएमएवाई-यू **2.0** के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश राज्य में कुल **61,084** आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से **43,947** आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इनमें से **1,980** आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। इसके अलावा, **882.32** करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिसमें से **406.39** करोड़ रुपए राज्य को जारी किए जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू **2.0** को देशभर के सभी वैधानिक शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसमें विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत गठित ऐसा कोई अन्य प्राधिकरण भी शामिल है, जिसे शहरी नियोजन और विनियमों से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। पात्र लाभार्थियों को पीएमएवाई-यू **2.0** के दिशा-निर्देशों में परिभाषित किया गया है। इस संबंध में, आंध्र प्रदेश सरकार से अमरावती के लैंड पूलिंग किसानों को पीएमएवाई-यू **2.0** के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के रूप में शामिल करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

*****